संख्या 4515 / II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनेत्तर मदों में लम्बित
आश्वासनों की पूर्ति हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग में क्षतिग्रस्त नहरों के सम्बन्ध में लम्बित अश्वासन संख्या 476/99, आश्वासन संख्या 30/2005 एवं आश्वासन संख्या 60/2000 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नहरों की पुनर्स्थापना हेतु आयोजनेत्तर मद में रू0 243.22 लाख (रूपये दो करोड़ तैतालीस लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अपने नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उल्लिखित आश्वासनों से सम्बन्धित योजनाओं के विरूद्ध ही किया जाय। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा मे सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फोट की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणना पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1 आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों

शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यों की गुणवत्ता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

मासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग त्रैमास के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई, 03–रखरखाव, आयोजनेत्तर 101–जल टंकी, 02–अन्य रख रखाव व्यय, 0029–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–201/I/वि0 VII(2)/2005 दिनांक 09, दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यों की गुणवत्ता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

मासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग त्रैमास के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई, 03–रखरखाव, आयोजनेत्तर 101–जल टंकी, 02–अन्य रख रखाव व्यय, 0029–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–201/I/वि0 VII(2)/2005 दिनांक 09, दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या 4513 / II–2005–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2
4– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी पौड़ी एवं विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव